शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 67/697/52-1-14-7(एम0एस0डी0पी0)/11

प्रेषक,

जय प्रकाश पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक 19 फरवरी, 2014**

विषय -11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी में स्वीकृत 01 राजकीय पालिटेक्निक में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष एवं कार्यशाला के निर्माण हेतु केन्द्रांश की अवशेष द्वितीय किश्त (50 प्रतिशत) अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(10)/2008-पी0पी0I, दिनांक 30.03.2012 के क्रम में जारी शासनादेश संख्या-2125/52-1-2012-07(एम0 एस0 डी0 पी0)/11, दिनांक 08 अगस्त,2012 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिससे जनपद लखीमपुर खीरी में उक्त राजकीय पालिटेक्निक का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए केन्द्रांश की धनराशि रू0 30.40 लाख प्रथम किश्त के रूप में जारी किया गया था।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- 3/19(10)/2008-पी0पी0-1, दिनांक 31.10.2013 से उक्त राजकीय पालिटेक्निक के लिए कुल लागत रू0 60.80 लाख के सापेक्ष कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 60.80 लाख के सापेक्ष अवशेष द्वितीय किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रु0 30,40,000/- (रू0 तीस लाख चालीस हजार मात्र) योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राविधानित बजट रू0 6750.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध रू0 2890.8400 लाख में से स्वीकृत कर अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल □□□□ निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

http://shasanadesh.up.nic.in

केन्द्रांश 100 प्रतिशत (रू0 लाख में)

क्र0	□□□□	□□□□	□□□	□□□□ □□□	□□□ अनुमोदित केन्द्रांश	□□□ राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त (□□0+□□0)	वर्तमान में अवमुक्त द्वितीय किश्त		वर्तमान में अवमुक्त □□□ □□□□□
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	□□□□□ खीरी	राजकीय पालिटेक्निक में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष □□□ कार्यशाला के निर्माण	01	60.80	60.80	0.00	30.40	30.40	0.00	30.40
		□□=	01	60.80	60.80	0.00	30.40	30.40	0.00	30.40

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीवृ□□, यदि वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक □□, प्राप्त करवं□ ही व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।

2- अवमुक्त □□□□□ □□□□, अल्पसंख्यक कल्या□, □0प्र0 लखनऊ द्वारा □□□□, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, ल□□□** को हस्तान्तरित की □□□□□ कार्य को 03 माह में गुणवत्ता एवं□□□□ □□ □□□□र पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। धनराशि का व्य□ □□□ सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-मदों पर ही व्यय की जायेगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था □□ □□□□, के मध्य □□ □□□ □□ □□0 □ 0□0□ (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि का व्यय योजना में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-02 पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों की अधीन किया जायेगा।

4- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-02 पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सु□□□ शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रश्नगत कार्य पूर्ण करा□□ □□□

5- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्ड र क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चितकिया जाय। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत राजकीय पॉलिटेक्निक के भवन पर एक बोर्ड का निर्माण किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, योजना की □ि□□, □□□ □ि स्रोत, कान्ट्रेक्टर का नाम व भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि का अंकन होगा। कार्य पूर्णोपरान्त उस पर स्थायी रूप से विवरण अंकित किया जायेगा।

7- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। राजकीय पॉलिटेक्निक की शिष्टियाँ, □ि□□, भवन एवं उपकरण आदि की डिजाइन वही होगी जो केन्द्र/राज्य सरकार अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित है।

8- निर्माण कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग □□□धिकारी के माध्यम से की जायेगी।

9- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- अनुदान ग्राही (Grantee) द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक □□□□खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वार ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया ज□□□□

11- अवमुक्त धनराशि का दुरूपयोग होने की स्थिति में □□□□□, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 लखनऊ एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के अधिकारी उत्तरद□□ होंगे।

12- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-2 प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 □ि उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त □□□□□, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 □□□□ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे□

13- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 □□ □ □- व्ययभ□ □□ अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्□ □□ □□ि□□ परिव्यय- □ □ि□□ि□□-02-समाज क□-800-अन्य □-01-केन्द्रीय □ □ि□□ि□□/□न्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0111-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय पालिटेक्निक का निर्माण (के0 100/□0 0-□0+□0)-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

14- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-11-265/□□-2014, दिनांक

14.02.2014 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
□□ □□□□□

संख्या _____ (1) / □□□□-1-2014तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- □□□□□□□□□, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, □□□□□□□□

2- □□□□□□□□□, (लेखा परीक्ष) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, □0प्र0 □□□□□

4- संयुक्त □□□□, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां □□, पर्यावरण □□□, □□0□□0□0 □म्पलेक्स □□□□ □□, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उनके पत्र संख्या-5460 / 5460 / 16-प्रा0शि□0-3-2010-15(12) / 2010, दिनांक 10.12.2010 के क्रम इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत पालिटेक्निक के निर्माण में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

6- □□□ □□□□, □□0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्या□ □□□ □□ □□ □□0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

7- □□□ □□□□, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख □□□□ महोदय के अवलोकनार्थ।

8- □□□□□□, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर।

9- □□□□□□, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज,** □□□□ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत राजकीय पालिटेक्निक में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष एवं कार्यशाला □□ कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण ढ़ग से पूर्ण कराने का कष्ट करें।

10- मुख्य कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□□

11- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, लखीमपुर खीरी।

12- वित्त (□□-व्ययन□) □□□□□-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 □□ 01 प्रति।

13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□□, □□□□ □□ □□ आश्य से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की □□□□□□ □□ □□□□□ करने का कष्ट करें।

14- गार्ड फाइल।

http://shasanadesh.up.nic.in

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
□□ □□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in